कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसं/जोध/11/ 1055 दिनांक 18/2/22

निमित:

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान

विषयः कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली रोड़ सम्पर्क सड़क हेतु 0.3291 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (FP/RJ/ROAD/16088/2015) के संबंध में।

संदर्भः– श्रीमान के कार्यालय का ईडीएस दिनांक 15–11–2021 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 11415 दिनांक 14–2–2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है विषयांकित वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में श्रीमान के कार्यालय द्वारा ऑन लाइन परिवेश पोर्टल पर लगाए गए आक्षेप दिनांक 15.11.2021 के क्रम में उप वन संरक्षक, जोधपुर ने संदर्भित पत्र द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से अनुपालना प्राप्त कर स्वयं की टिप्पणी के साथ प्रस्तुत की है, प्रस्तुत अनुपालना निम्न लिखित है :–

Ser No	E.D.S. Point	प्रत्युतर/अनुपालना
1.	The proposal should not be recommended because an alternate road is available to connect PAL Road, so this road is not required.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लेखित वैकल्पिक मार्ग से हजारों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। उक्त वैकल्पिक मार्ग अत्यन्त टेढा–मेढा एवं संकड़ा है, कुछ स्थानों पर उक्त मार्ग मात्र 15 फीट चौड़ा है तथा साथ ही कई स्थानों पर 90 डिग्री पर मुड़ने वाले खतरनाक अन्धे मोड़ है जिसके कारण यहा पर कई बार भीषण दुर्घटनाए होने से जनहानि–अनहोनी हो जाने का आदेशा बना रहता है तथा ट्राफिक के भारी दबाव के कारण व्यस्त अवधि के दौरान यहां से बड़े वाहनों का गुजरना लगभग असम्भव हो जाता हैं। इन्हीं तथ्यों की दृष्टिगत रखते हुए, उक्त वैकल्पिक मार्ग मौजूद होने के बावजूद उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा इस प्रकरण में Diversion हेतु प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किये जाने पर इसके औचित्य एवं महती आवश्यकता से पूर्णतया सहमत होकर इस प्रस्ताव की अनुशंषा की गई। इसी क्रम में यह भी निवेदन है कि शहर के नागरिकों के आवागमन के लिए सहज एवं सुरक्षित सड़क मार्ग उपलब्ध कराया जाना प्रयोक्ता अभिकरण की नैतिक जिम्मेवारी है, यहां के निवासियों की इस मूलभूत मांग को दृष्टिगत रखकर गहन विचारोपरान्त ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रबंधन हेतु उक्त Diversion हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। इस Diversion के औचित्य एवं महती आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशय हो तो राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने का श्रम करावें अन्यथा इस प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान कराने का कष्ट करावे।
2.	After construction of this road, the left out area is very less so cannot be managed and liable to encroachment.	वन भूमि के Diversion के बाद सड़क का निर्माण हो जाने के उपरान्त शेष बची वन भूमि काफी कम होने के कारण मुख्यालय के स्तर से इसका प्रबन्धन न हो जाने के उपरान्त शेष पर अतिक्रमण होने की आंशका व्यक्त की गई है जो पूर्णतया निर्मूल है। इसी क्रम में निवेदन है कि जिले की वन भूमियो के प्रबन्धन एवं इनकी सुरक्षा का दायित्व उप वन संरक्षक का होता है तथा उप वन संरक्षक, जोधपुर के द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण करके इन सभी तथ्यो पर गौर करते हुए ही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंषा की गई तथा उप वन संरक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट में शेष बची वन भूमि के प्रबंधन में किसी प्रकार

Scanned with CamScanner

		की समस्या आने अथवा इस पर अतिक्रमण की सभांवनाऐ प्रबल हो जाने के बारे में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उक्त वन भूमि वर्तमान में भी पक्की चार दीवारी के द्वारा घेरकर सुरक्षित की गई है तथा प्रत्यावर्तन हो जाने के उपरान्त निर्मित की जाने वाली सड़क के दोनों तरफ पक्की दीवार का निर्माण कार्य किया जाने का प्रावधान रखा गया है इसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के तकमीना के अनुसार राशी जमा करने के Undertaking दे रखी है। अतः शेष बची वन भूमि के प्रबन्धन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तथा इस पर अतिकमण की सम्भावनाऐ बढ जाने की भी कोई आंशका नहीं है।
3.	It is seen from google image of the area that this is very good green cover in the heart of the city, which will be destroyed after construction of the road.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में मुख्यालय के द्वारा स्वयं के स्तर से इस क्षैत्र की Google पर प्रदर्शित इमेज (image) के आधार पर सडक का निर्माण होने की स्थिति में शहर के ह्रदय स्थल में स्थित इस वन क्षेत्र जोधपुर मुख्य शहर के बाहर जोधपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 8 किलो मीटर की दूरी पर पाली जाने वाली मुख्य सडक के किनारे पर स्थित है। इसके आस पास स्थित आफरी व काजरी परिसरों के विशाल भू–भाग में हरा –भरा एवं जंगल मौजूद है जबकि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का रकाबा अत्यन्त अल्प है (क्षेत्रफल 0.3291 Hac.) ही है। अतः प्रस्तावित श्रैत्र के आस पास विस्तत भू–भाग पर सघन हरितावरण मौजूद है। प्रयोक्ता अभिकरण ने निवेदन किया है कि JDA जोधपुर नागरिको को बेहतरीन मूल– भूत सुविधाऐं (यथा सडक,बिजली,पानी आदि) प्रदान में करने के साथ–साथ शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए भी कृत संकल्प है। JDA जोधपुर के द्वारा शहर में उपर्युक्त स्थानों पर प्रतिवर्ष हजारो पेड–पौधे लगाये जाते है। इस प्रत्यावर्तन प्रकरण में यथा संभव न्यूनतम पेड हटाये जायेगे तथा प्रत्यावर्तन की स्वीकृति में वर्णित शर्तो में वर्णित यंख्या में स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपित कर इनकी सुरक्षा एवं सार संथाल कर इनको पेडो के रूप में विकसित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार निवेदन है कि उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव किसी संस्था अथवा निजी व्यक्तियो के हितो को प्रोत्साहित करने के लिए नही, बल्कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आमजन की सुरक्षित एवं सहज सडक मार्ग उपलब्ध करये जाने के नेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। आमजन को राहत प्रदान करने के लिए इस जन उपयोगी प्रस्ताव को स्वीकृत करने का कष्ट करे।

संलग्न : अनुपालना

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए / मुवसं / जोध / 11 / दिनांक

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रतिलिपि सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सूचनार्थ।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोक्सवेल फोन न. 0291-2636753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांकः एफ (593)एफ.सी.ए / उवसं / 2022 / 11415 दिनांकः 14/02/2022

निमित्तः– सभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

विषयः प्रस्तावित रोड़ कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली सम्पर्क रोड हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं. FP/RJ/16088/2015, क्षेत्रफल 0.3291 के संबंध में।

संदर्भ : ऑन लाइन परिवेश पोर्टल पर उच्च कार्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेप दिनांक 19.11.2021 एवं कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का पत्र क्रमांक जो.वि.प्रा./अ.अ/दक्षिण/2021-22/792 दिनांक 18.01.2022 (छायांप्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में उच्च कार्यालय द्वारा ऑन लाइन परिवेश पोर्टल पर लगाए गए आक्षेप दिनांक 16.11.2021 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत पालना निम्न लिखित है :–

Ser No	Type of E.D.S.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत पालना
1.	The proposal should not be recommended because an alternate road is available to connect PAL Road, so this road is not required.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लेखित वैकल्पिक मार्ग से हजारों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। उक्त वैकल्पिक मार्ग अत्यन्त टेढा–मेढा एवं संकड़ा है, कुछ स्थानों पर उक्त मार्ग मात्र 15 फीट चौड़ा है तथा साथ ही कई स्थानों पर 90 डिग्री पर मुड़ने वाले खतरनाक अन्धे मोड़ है जिसके कारण यहा पर कई बार भीषण दुर्घटनाए होने से जनहानि–अनहोनी हो जाने का आदेशा बना रहता है तथा ट्राफिक के भारी दबाव के कारण व्यस्त अवधि के दौरान यहां से बड़े वाहनों का गुजरना लगभग असम्भव हो जाता हैं। इन्हीं तथ्यों की दृष्टिगत रखते हुए, उक्त वैकल्पिसक मार्ग मौजूद होने के बावजूद अधोहस्ताक्षर कर्त्ता द्वारा इस प्रकरण में Diversion हेतु प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किये जाने पर इसके औचित्य एवं महती आवश्यकता से पूर्णतया सहमत होकर इस प्रस्ताव की अनुशंषा की गई। इसी क्रम में यह भी निवेदन है कि शहर के नागरिकों के आवागमन के लिए सहज एवं सुरक्षित सड़क मार्ग उपलब्ध कराया जाना प्रयोक्ता अभिकरण की नैतिक जिम्मेवारी है, यहा के निवासियों की इस मूलभूत मांग को दृष्टिगत रखकर गहन विचारोपरान्त ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रबंधन हेतु उक्त Diversion हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। इस Diversion के औचित्य एवं महती आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशय हो तो किसी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने का श्रम करावें अन्यथा इस प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान कराने का कष्ट करावे।

F.C.A
17/2/22

Scanned with CamScanner

Ser No	Type of E.D.S.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत पालना
2.	After construction of this road, the left out area is very less so cannot be managed and liable to encroachment.	वन भूमि के Diversion के बाद सड़क का निर्माण हो जाने के उपरान्त शेष बची वन भूमि काफी कम होने के कारण मुख्यालय के स्तर से इसका प्रबन्धन न हो जाने के उपरान्त शेष पर अतिकमण होने की आंशका व्यक्त की गई है जो पूर्णतया निर्मूल है। इसी क्रम में निवेदन है कि जिले की वन भूमियो के प्रबन्धन एवं इनकी सुरक्षा का दायित्व उप वन संरक्षक का होता है तथा उप वन संरक्षक, जोधपुर के द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण करके इन सभी तथ्यो पर गौर करते हुए ही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंषा की गई तथा उपवन संरक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट में शेष बची वन भूमि के प्रबंधन में किसी प्रकार की समस्या आने अथवा इस पर अतिक्रमण की सभांवनाऐ प्रबल हो जाने के बारे में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उक्त वन भूमि वर्तमान में भी पक्की चार दीवारी के द्वारा घेरकर सुरक्षित की गई है तथा प्रत्यावर्तन हो जाने के उपरान्त निर्मित की जाने वाली सड़क के दोनों तरफ पक्की दीवार का निर्माण कार्य किया जाने का प्रावधान रखा गया है इसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के तकमीना के अनुसार राशी जमा करने के Undertaking दे रखी है। अतः शेष बची वन भूमि के प्रबन्धन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तथा इस पर अतिकमण की सम्भावनाऐ बढ जाने की भी कोई आंशका नहीं है।
3.	It is seen from google image of the area that this is very good green cover in the heart of the city, which will be destroyed after construction of the road.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में मुख्यालय के द्वारा स्वयं के स्तर से इस क्षेत्र की Google पर प्रदर्शित इमेज (image) के आधार पर सडक का निर्माण होने की स्थिति में शहर के ह्रदय स्थल में स्थित इस वन क्षेत्र जोधपुर मुख्य शहर के बाहर जोधपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 8 किलो मीटर की दूरी पर पाली जाने वाली मुख्य सडक के किनारे पर स्थित है। इसके आस पास स्थित आफरी व काजरी परिसरों के विशाल भू–भाग में हरा –भरा एवं जंगल मौजूद है जबकि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का रकाबा अत्यन्त अल्प है (क्षेत्रफल 0.3291 Hac.) ही है। अतः प्रस्तावित श्रैत्र के आस पास विस्तत भू–भाग पर सघन हरितावरण मौजूद है। प्रयोक्ता अभिकरण का निवेदन है कि JDA जोधपुर अपने नागारिको को बेहतरीन मूल– भूत सुविधाऐं (यथा सडक,बिजली,पानी आदि) प्रदान में करने के साथ–साथ शुद्ध र्प्यावरण उपलब्ध कराने के लिए भी कृत संकल्प है। JDA जोधपुर के द्वारा शहर में उपर्युक्त स्थानों पर प्रतिवर्ष हजारो पेड–पौधे लगाये जाते है। इस प्रत्यावर्तन प्रकरण में यथा संभव न्यूनतम पेड हटाये जायेगे तथा प्रत्यावर्तन की स्वीकृति में वर्णित शर्तो में वर्णित यंख्या में स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपित कर इनकी सुरक्षा एवं सार संथाल कर इनको पेडो के रूप में विकसित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

अतः निवेदन है कि उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव किसी संस्था अथवा निजी व्यक्तियो के हितो को प्रोत्साहित करने के लिए नही, बल्कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आमजन की सुरक्षित एवं सहज सडक मार्ग उपलब्ध करये जाने के नेक उदेश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। आमजन को राहत प्रदान करने के लिए इस जन उपयोगी प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत करने का कष्ट करे।

संलग्नः—उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(रमेश कुमार मालपानी)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांकः सम/
दिनांकः

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य बन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोड़ल अधिकारी,एफसीए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, अरण्य भवन, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

A593 PUC-29

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

[illegible] 342001

Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः– जो.वि.प्रा / उ.अ / दक्षिण / 2021–22 / 792 दिनांकः– 18/1/22

उप वन संरक्षक
जोधपुर

विषयः– प्रस्तावित रोड कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड से पाली सम्पर्क रोड़ हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ 16048, क्षेत्रफल 0.3291 हैक्टेयर के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक F(593)FCA / उप वन संरक्षक / 2021–22 दिनांक 22.11.2021

महोदयजी,

उपरोक्त सदर्भ मे लेख है कि उक्त प्रस्ताव जोधपुर शहर के दक्षिण में स्थित विभिन्न कॉलोनियां जैसे करणी नगर, राजीव नगर, लक्ष्मी विहार, महावीर नगर कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, विवेक विहार की आवासीय कॉलोनियों एवं दक्षिण दिशा में स्थित लाखों नागरियो को जोधपुर शहर में आवागमन के लिए सुगम–सुरक्षित सडक मार्ग उपलब्ध कराने के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति के लिए JDA के द्वारा वन भूमि के Diversion हेतु उक्त प्रस्ताव किया गया। आपके आक्षेपों का बिन्दुवार निम्नलिखित प्रतिउत्तर हैं–

1. आपके द्वारा EDS F(593)FCA / उप वन संरक्षक / 2021–22 दिनांक 22.11.2021 में उल्लेखित वैकल्पिक मार्ग से हजारो वाहन प्रतिदिन गुजरते है। उक्त वैकल्पिक मार्ग अत्यन्त टेढा–मेढा एवं संकड़ा है,कुछ स्थानों पर उक्त मार्ग मात्र 15 फीट चौडा है तथा साथ ही कई स्थानो पर 90 डिग्री पर मुडने वाले खतरनाक अन्धे मोड है जिसके कारण यहा पर कई बार भीषण दुर्घटनाए होने से जनहानि भी हो चुकी है। यहां से गुजरने वाले राहगीरो के लिए सदैव ही जनहानि – अनहोनी हो जाने का अंदेशा बना रहता है तथा ट्राफिक के भारी दबाव के कारण व्यस्त अवधि के दौरान यहां से बड़े वाहनों का गुजरना लगभग असम्भव हो जाता है।

इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त वैकल्पिक मार्ग मौजूद होने के बावजूद DCF के द्वारा इस प्रकरण मे Diversion हेतु प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किये जाने पर इसके औचित्य एवं महती आवश्यकता से पूर्णतया सहमत होकर इस प्रस्ताव की अनुशंषा की गई।

इस कम में यह भी निवेदन है कि शहर के नागरिको के आवागमन के लिए सहज एवं सुरक्षित सडक मार्ग उपलब्ध कराया जाना JDA की नैतिक जिम्मेदारी है, यहा के निवासियों की इस मूलभूत मांग को दृष्टिगत रखकर गहन विचारोपरान्त ही JDA प्रशासन के द्वारा उक्त Diversion हेतु प्रार्थना पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

इस कम में जनहित मे अति महत्वपूर्ण मे प्रकरण विगत 6–7 वर्षो की लम्बी अवधि तक आपके विभाग के द्वारा बार–बार की गई समस्त आपत्तियों का निराकरण करने के लिए अत्यधिक राजकोष श्रम समय एवं सामग्री का व्यय करने के उपरान्त मौके के अधिकारी अर्थात उपवन संरक्षक के बजाय मुख्यालय के स्तर से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने का उल्लेख करते हुए Diversion के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना आमजन की मूलभूत सुविधा प्रदान करने के बजाय JDA के नेक प्रयासों पर कुठाराघात है तथा कतई उचित नही है।

इस Diversion के औचित्य एवं महती आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशय हो तो किसी वरिष्ठ अधिकारियो को मौके पर भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने का श्रम करावे अन्यथा इस प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान कराने का कष्ट करावे।

2. After inspection fo worklift out once is very less to be managed & is liable to be inconvinence

वन भूमि के Diversion के बाद सडक का निर्माण हो जाने के उपरान्त शेष बची वन भूमि काफी कम होने के कारण मुख्यालय के स्तर से इसका प्रबंधन न हो पाने व इस पर अतिक्रमण होने की आंशका व्यक्त की गई है जो पूर्णतया निर्मूल है।

निवेदन है कि जिले की वन भूमियों के प्रबन्धन एवं इनकी सुरक्षा का दायित्व उपवन संरक्षक का होता है तथा उपवन संरक्षक जोधपुर के द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण करके इन सभी तथ्यों पर गौर करते हुए ही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंषा की गई तथा उपवन संरक्षक की निरीक्षण

उप वन संरक्षक जोधपुर 5883 25/01/2022

FCA 21/1/22

21/1/22

प्रति हस्ताक्षर

Shri Sunil Ji, Sir, legible copies for your further

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट में शेष बची वन भूमि के प्रबन्धन में किसी प्रकार की समस्या आने अथवा इस पर अतिक्रमण की सभांवनाऐ प्रबल हो जाने के बारे में कोई टिप्पणी अंकित नही की गई है। उक्त वन भूमि वर्तमान मे भी पक्की चारदीवारी के द्वारा घेरकर सुरक्षित की गई है तथा प्रत्यावर्तन हो जाने के उपरान्त निर्मित की जाने वाली सडक के दोनो तरफ पक्की दीवार का निर्माण कार्य किया जाने का प्रावधान रखा गया है इसके लिए JDA द्वारा वन विभाग के तखमीनायें अनुसार राशी जमा करने के लिए Undertaking दे रखी है। अतः शेष बची वन भूमि के प्रबन्धन में किसी प्रकार की कोई समस्या नही है तथा इस पर अतिक्रमण की सम्भावनाऐ बढ जाने की भी कोई आंशका नही है।

अतः प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान करने का कष्ट करे।

3. मुख्यालय के द्वारा स्वयं के स्तर से इस क्षैत्र की Google पर प्रदर्शित इमेज (image) के आधार पर सडक का निर्माण होने की स्थिति में शहर के हृदय स्थल में स्थित इस वन क्षैत्र में मौजूद हरितावरण के नष्ट हो जाने की आपत्ति अंकित की गई है। इस क्रम में निवेदन है कि उक्त वन क्षैत्र जोधपुर मुख्य शहर के बाहर जोधपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पाली जाने वाली मुख्य सड़क के किंनारे पर स्थित है। इसके अति निकट स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर के विशाल भू–भाग तथा इसके आस पास स्थित आफरी व काजरी परिसरों के विशाल भू–भाग में हरा–भरा एवं जंगल मौजूद है जबकि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का रकबा अत्यन्त अल्प है (मात्र 0.3291 Hac.) ही है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास विस्तृत भू–भाग पर सघन हरितावरण मौजूद है।

निवेदन है कि JDA जोधपुर अपने नागरिको को बेहतरीन मूल–भूत सुविधाऐं (यथा सड़क,बिजली,पानी आदि) प्रदान करने के साथ–साथ शुद्व पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए भी कृत संकल्प है। JDA जोधपुर के द्वारा शहर में उपयुक्त स्थानों पर प्रतिवर्ष हजारो पेड़–पौधे लगाये जाते है।

इस Diversion प्रकरण मे यथा संभव न्यूनतम पेड़ हटाये जायेंगे तथा प्रत्यावर्तन की स्वीकृति में वर्णित शर्तो में वर्णित संख्या में स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपित कर इनकी सुरक्षा एवं सार संभाल कर इनको पेडो के रूप में विकसित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः यह भी निवेदन है कि उक्त Diversion किसी संस्था अथवा निजी व्यक्तियों के हितो को प्रोत्साहित करने के लिए नही, बल्कि JDA द्वारा आमजन की सुरक्षित एवं सहज सड़क मार्ग उपलब्ध कराये जाने के नेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। अतः आमजन को राहत प्रदान कराने के लिए इस जनउपयोगी प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत करने का कष्ट करे।

18/1/22

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांकः– जो.वि.प्रा / अ.अ / दक्षिण / 2021–22 /   दिनांकः–

प्रतिलिपी वास्ते सुचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन सरंक्षक महोदय, जोधपुर।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

प्रति हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner